जोधपुर
[redacted] विद्युत वितरण [redacted]
निगम लि०

क्रमांक: जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा० /प्रे. 373 दिनांक 12-06-2001

आदेश

विषय:- बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक घोषणा (दिनांक 30 जून, 2001 तक) ।

- - - - -

पूर्व में निगम द्वारा जनहित में कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा बढ़े हुये लोड को 30 अप्रेल, 2001 तक स्वैच्छिक घोषणा करने पर कई रियायतें दी गई । इससे कृषि उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है । अब उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना को पुनः चालू करने की मांग की जा रही है ।

अतः निर्णय लिया है कि इस योजना को 30 जून, 2001 तक बढ़ा दिया जाय ।

अतः 30 जून, 2001 तक यह छूट दी जा रही है कि जो कृषक अपने बढ़े हुये लोड का स्वयं घोषणा करेगा उसे मात्र 700/- रूपये प्रति हार्स पावर (जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्जेज शामिल हैं) घोषणा के साथ-साथ जमा कराने होगें । आवश्यक होने पर नई 11 के०वी० लाईन एवं सब-स्टेशन का खर्चा निगम वहन करेगा । इस दौरान निगम के अधिकारीगण कृषकों के कुओं का पूर्ण सर्वे करेगें तथा स्थापित भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर उपभोक्ता को स्वीकृत भार बढ़ाने की कार्यवाही करेगें । इस सर्वे के दौरान कोई अधिभार के मामले न बनाकर त्वरित गति से बढ़े हुये भार की स्वीकृति जारी की जाये । तथा इस आदेश में उल्लेखित छूट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाये । सर्वे में सामने आये तथा स्वैच्छिक घोषित दोनों प्रकार के मामले 15 दिवस के भीतर निस्तारित किये जाये तथा अगले बिलिंग माह से बढ़े हुए भार के बिल जारी होना सुनिश्चित किया जाये ।

30 जून, 2001 तक प्राप्त हुये सभी मामलों में सहायक अभियन्ता भार वृद्धि स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत रहेगें । 30 जून, 2001 के पश्चात् यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी । इस तिथि के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा स्वंय विद्युत भार बढ़ाने के आवेदन पर सम्पूर्ण लाईन के आधे चार्जेज तथा रूपये 1450/- प्रति हार्स पावर की दर से राशि ली जायेगी । विजिलेन्स चैकिंग में अधिक लोड पाये जाने पर बढ़े हुये लोड के लिये रू० 2950/-प्रति हार्स पावर एवं सम्पूर्ण लाईन चार्जेज लिये जायेगें ।

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है :-

1- सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर
2- सम्भागीय मुख्य अभियन्ता(परि०एवं संधा०-जोधपुर जोन/बीकानेर जोन),जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर/बीकानेर ।
3- मुख्य लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
4- उप मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
5- अधीक्षण अभियन्ता(शहर/जिला/पवस/पी०पी०एण्ड एम०/पदार्थ प्रबन्ध/एम०एण्ड पी०/बी०एफ०एल०),जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर/चुरु/जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधिनस्थ कार्यरत समस्त अधिशाषी/सहायक अभियन्ताओं तथा सहायक राजस्व अधिकारी को उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि अपने स्तर पर प्रेषित करावें ।
6- अधीक्षण अभियन्ता(ऊर्जा), रीको, जयपुर ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि०एवं संधा०/एम०एम०/अंकेक्षण) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
8- व्यक्तिगत सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9- उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
10- उप निदेशक (पी०एण्ड ए०), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
11- अधिशाषी अभियन्ता(विधि), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर